P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 21.08.2018 द्वारा श्रीमती सीमा सिंह, प्रधानाचार्या, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिग्गी, मालपुरा जिला टोंक का स्थानान्तरण राउमावि–बलढार खॉ, बनेडा जिला भीलवाडा किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती सीमा सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं. 3089/2018 सीमा सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील सं. 3089/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2018 द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 21.08.2018 के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 11.10.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.08.2018 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के एकल महिला होने, पिता का निधन हो जाने, कैंसर पीडित भाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपीलार्थी पर होने एवं उनकी माता जी के हृदय रोग से ग्रस्त होने के चलते दो बार एन्जियोग्राफी होने जैसी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.08.2018 निरस्त किये जाने बाबत् निवेदन किया गया है।

माननीय अधिकरण द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। अपीलार्थी की विषम पारिवारिक परिस्थितियों एवं उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी सीमा सिंह, प्रधानाचार्या का राउमावि–डिग्गी, मालपुरा जिला टोंक से राउमावि–बलढार खॉ, बनेडा जिला भीलवाडा किया गया स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.08.2018 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप सीमा सिंह राउमावि–डिग्गी, मालपुरा जिला टोंक में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सीमा सिंह/अपील/3089/2018 **दिनांक** 18.9.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, टोंक/भीलवाडा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी/18–19/पदस्थापन/द्वितीय/2018 दिनांक 16.07.2018 द्वारा श्री ओमप्रकाश यादव, व्याख्याता राउमावि–डूमरोली, नीमराना जिला अलवर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि–बिलोदा, डूंगला जिला चित्तौडगढ पदस्थापित किया गया था। तत्पश्चात् आंशिक संशोधन आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी/18–19/पदस्थापन/द्वितीय/2018, दिनांक 17.07.2018 द्वारा इनकी कार्यग्रहण तिथि में आंशिक संशोधन किया गया। इसके विरूद्ध श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18628/2018 दायर की गई।

उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.08.2018 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार कन्सीडर कर माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण डॉ. पुष्पा मेहता एवं मेघराज के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में चार सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। अभ्यावेदन निस्तारण तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.07.2018 एवं दिनांक 17.07.2018 का क्रियान्वयन माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना पदस्थापन दिनांक 01.10.2018 को सेवानिवृति से रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद प्रधानाचार्य–राउमावि प्रतापसिंह पुरा, नीमराना जिला अलवर अथवा राउमावि–बूढवाल, बहरोड जिला अलवर में किये जाने की परिवेदना की गई।

श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों एवं माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण डॉ पुष्पा मेहता एवं मेघराज के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। याचिकार्थी द्वारा पदौन्नति उपरान्त अपने नव–पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया जा चुका है। याचिकार्थी को वरीयतांनुसार, उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर ही राउमावि–बिलोदा, डूंगला जिला चित्तौडगढ में दिनांक 16.07.2018 को ही प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित किया गया था। याचिकार्थी श्री ओमप्रकाश यादव से वरीयता क्रम में उपर श्री मुन्शी लाल अवस्थी को भी उनके गृह जिले अलवर से बाहर उदयपुर जिले में पदस्थापन मिला है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए उक्त दोनों ही विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद स्पष्टतः रिक्त नहीं होने की स्थिति में पदस्थापन सम्भव नहीं है। इसी अनुरूप याचिकार्थी श्री ओमप्रकाश यादव का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/ओमप्रकाश/18628/2018 दिनांकः 18-9-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा चित्तौडगढ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–1/45001/प्र.अ./स्थाना/2018 दिनांक 10.08.2018 द्वारा श्री सज्जन कुमार सैनी प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पूर्वी ढहर (Purvi Dahar) चिराना, जिला झुन्झुनु का स्थानान्तरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय–कड़वासरों की ढाणी जिला बाडमेर जयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री सैनी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 20102/2018 सज्जन कुमार सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.08.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अतः श्री सज्जन कुमार सैनी प्रधानाध्यापक माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पूर्वी ढहर, चिराना जिला झुन्झुनु में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सज्जन कुमार/याचिका/20102/2018 दिनांक 18.9.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू/जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनु/बाडमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 22.08.2018 द्वारा श्री विनोद कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निवाना, गोविन्दगढ जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवा खेडा, कोटडी जिला भीलवाडा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री विनोद कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 19204/2018 विनोद कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.08.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः श्री विनोद कुमार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि–निवाना, गोविन्दगढ जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे एवं श्री निर्मल कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्याधीन राउमावि–जीवा खेडा, कोटडी जिला भीलवाडा किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 24.09.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/विनोद कुमार/19204/ **दिनांकः** 18.9.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जयपुर को पाबन्द किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थीगण।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)